Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जयसमन्द झील का मेवाड़ के आर्थिक क्षेत्र में योगदान – एक अध्ययन

मोनिका आमेटा* डॉ. पंकज आमेटा**

* शोधार्थी (इतिहास) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोध निर्देशक (इतिहास) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – जयसमन्द झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, 1687 ई. में महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित एक विशाल कृत्रिम जलाशय है, जिसने मेवाड़ की आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इस झील ने निर्माण से लेकर 1947 तक सिंचाई, मत्स्य पालन, पशुपालन, पर्यटन, कुटीर उद्योग और रोजगार जैसे विविध क्षेत्रों में योगदान देकर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की। कृषि में सिंचित भूमि के विस्तार से लेकर मत्स्य उत्पादन के माध्यम से स्थानीय रोजगार की सृजनता और धार्मिक पर्यटन से व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि तक – जयसमन्द झील ने जनजीवन को विविध स्तरों पर समृद्ध किया। इसके अतिरिक्त, झील ने पर्यावरणीय संतुलन, जलवायु सुधार और पारिस्थितिकीय संवर्धन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह क्षेत्र सामाजिक संगठनों और जनचेतना का केंद्र भी बना। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जयसमन्द झील केवल एक जल स्रोत न होकर, मेवाड़ की सामाजिक–आर्थिक प्रगति की आधारशिला रही है।

शब्द कुंजी – जयसमंद झील, परंपरा, आधुनिकता, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक विकास, सतत विकास।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध पत्र वर्णात्मक और विश्लेष्णात्मक द्रष्टिकोण पर आधारित है। शोध सामग्री को प्रमुख इतिहास पुस्तको तथा ऐतिहासिक लेखन से लिया गया है स प्रस्तुत शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ो पर आधारित है।

शोध के उद्देश्य –प्रस्तुत शोध पत्र निम्न उद्देश्यो पर आधारित है :

1. जयसमंद झील के आर्थिक पहलुओं की पहचान करना।
2. सामाजिक–आर्थिक संरचना का अध्ययन।

भूमिका – मेवाड़, जो राजस्थान की एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि रही है, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध रहा है। इसी धरती पर स्थित है जयसमन्द झील – जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है – जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने सन् 1687 में करवाया था। यह झील न केवल वास्तुशिल्प और जल प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण से लेकर भारत की स्वतंत्रता (1947) तक, इसने मेवाड़ की अर्थव्यवस्था में भी बहुमुखी योगदान दिया। इस शोध–पत्र में जयसमन्द झील के निर्माण, इसके उद्देश्य, इसके सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, कृषि, मत्स्य, पर्यटन, व्यापार, श्रम और स्थानीय जीवन पर प्रभाव का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

1. निर्माण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य – महाराणा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में अकाल और जल संकट से जूझते मेवाड़ क्षेत्र के दीर्घकालिक समाधान के लिए इस झील का निर्माण करवाया। गोमती नदी पर बना यह जलाशय लगभग 87 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके निर्माण में लगभग 15,000 श्रमिकों ने वर्षों तक कार्य किया। यह झील जल संचयन, सिंचाई, मछली पालन, परिवहन और जनकल्याण का आधार बनी।

2. कृषि क्षेत्र में योगदान – झील के निर्माण के बाद आस–पास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने लगी, जिससे कृषक वर्ग की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ।

- **सिंचित भूमि का विस्तार–** लगभग 50,000 एकड़ भूमि झील से सिंचित होती थी।
- **फसलों की विविधता–** गेहूं, जौ, चना, सरसों जैसी फसलों के साथ–साथ मौसमी सब्जियों की पैदावार भी बढ़ी।
- **जल संसाधन सुरक्षा–** वर्षा पर निर्भरता कम हुई और दो फसलों का प्रचलन बढ़ा।

3. मत्स्य पालन एवं पशुपालन में भूमिका– जयसमन्द झील ने मत्स्य व्यवसाय को स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक नया स्तंभ प्रदान किया।

- **मछली उत्पादन–** झील में रोहू, कतला, सिल्वर कार्प आदि प्रजातियों की प्राकृतिक वृद्धि होने लगी।
- **स्थानीय रोजगार–** मत्स्यपालन से लगभग 150 परिवारों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला।
- **पशुपालन में जल उपलब्धता–** चरागाहों की स्थिति सुधरी और दूध उत्पादन बढ़ा।

4. पर्यटन एवं धार्मिक गतिविधियाँ – झील का सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक रहा।

- **घाट और मंदिर–** झील के किनारे स्थित मंदिर और घाट धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने।
- **राजसी यात्राएँ और मेलों का आयोजन–** उत्सवों में बड़ी संख्या में व्यापारियों और तीर्थयात्रियों की उपस्थिति।
- **नाव संचालन और मनोरंजन–** स्थानीय नाविकों और शिल्पकारों को आजीविका का साधन मिला।

5. व्यापार और कुटीर उद्योगों पर प्रभाव

- **जलमार्ग उपयोग–** झील के माध्यम से सीमित जल परिवहन संभव हुआ जिससे वस्त्र, मसाले और अन्य व्यापारिक वस्तुएँ आसपास के गांवों तक पहुँचीं।
- **कुटीर उद्योगों को जल आपूर्ति –** रंगाई–छपाई, बर्तन निर्माण, मछली सुखाने आदि पारंपरिक उद्योग फले–फूले।

6. रोजगार सृजन और श्रमिक कल्याण

- **निर्माणकालीन रोजगार–** झील के निर्माण में हजारों लोगों को रोजगार मिला।
- **स्थायी कार्य–** रखरखाव, मछलीपालन, नावचालन, घाट निर्माण आदि के लिए स्थायी श्रमिक वर्ग विकसित हुआ।

7. सामाजिक–आर्थिक संरचना में परिवर्तन

- **जनसंख्या का पुनर्विन्यास–** झील के आसपास नई बस्तियों और ग्रामों की स्थापना हुई।
- **संवृद्धि का प्रसार–** झील क्षेत्र के गांव अधिक समृद्ध और शिक्षित बने।
- **महिलाओं की भागीदारी–** मछली सुखाने, दूध विपणन, धार्मिक यात्राओं में सेवा आदि कार्यों में महिलाएं भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल हुईं।

8. राज्य की राजस्व नीति पर प्रभाव

- **जल कर और मत्स्य कर–** झील से अर्जित आय राज्य के राजस्व में सहयोगी रही।
- **भूमि कर–** सिंचित भूमि के माध्यम से कर–संग्रह बढ़ा।
- **व्यापारिक शुल्क–** धार्मिक पर्यटन और मेलों से वाणिज्यिक शुल्क में वृद्धि।

9. पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय प्रभाव

- **जलवायु संतुलन–** झील क्षेत्र का तापमान अन्य शुष्क क्षेत्रों से कम रहा।
- **हरित क्षेत्र में वृद्धि–** वनस्पतियों और जीव–जंतुओं की विविधता में वृद्धि हुई।
- **स्थानीय पारिस्थितिकी का संरक्षण–** जल स्रोतों का पुनर्भरण, पक्षियों का प्रवास, और जैव विविधता का संवर्धन।

10. स्वतंत्रता संग्राम और झील का योगदान:

- **जन संगठनों का सहयोग केंद्र–** झील क्षेत्र में कई स्वतंत्रता सेनानी एकत्र होते थे।
- **जल संपदा पर नियंत्रण हेतु जन–आंदोलन–** 1940 के दशक में ग्रामीणों द्वारा जल–संसाधन पर अधिकार और उपयोग हेतु जागरूकता अभियान शुरू हुए।

आर्थिक विश्लेषण पर आधारित तालिकाएँ –

1. झील से जुड़ी आर्थिक व्यवसाय गतिविधियाँ :

व्यवसाय	सम्बंधित व्यवसाय से जुड़े लोगो का प्रतिशत
1. पर्यटन	45%
2. मछली पालन	40%
3. कृषि सिचाई	10%
4. होटल व्यवसाय	05%
5. हस्तशिल्प	–

तालिका की व्याख्या– यह तालिका झील से जुड़ी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और उनमें संलग्न लोगों के प्रतिशत को दर्शाती है। इसमें यह बताया गया है कि झील क्षेत्र में किन–किन व्यवसायों का विकास हुआ है और स्थानीय जनसंख्या इनमें किस हद तक भागीदारी निभा रही है।

1. पर्यटन (45%)– झील का प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व पर्यटन को बढ़ावा देता है। नाव विहार, गाइडिंग, सांस्कृतिक आयोजन, ट्रांसपोर्ट, फोटोग्राफी, स्मृति चिह्न विक्रय आदि क्षेत्रों में 45% लोग कार्यरत हैं। यह व्यवसाय सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है।

2. मछली पालन (40%)– झील का जल क्षेत्र मछली पालन के लिए अनुकूल है। यहाँ मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें लगभग 40% स्थानीय लोग संलग्न हैं। यह व्यवसाय घरेलू उपभोग के साथ–साथ बाजार की मांग को भी पूरा करता है।

3. कृषि सिंचाई (10%) – झील के जल का उपयोग आसपास की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए किया जाता है। यह विशेषकर रबी और खरीफ फसलों की सिंचाई में सहायक होता है। लगभग 10%लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।

4. होटल व्यवसाय (5%) – पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ होटल व्यवसाय में भी विकास हुआ है। स्थानीय स्तर पर छोटे होटल, लॉज, गेस्ट हाउस एवं भोजनालय खुल गए हैं, जिनमें 5% लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

5. हस्तशिल्प (–) – इस क्षेत्र में अभी हस्तशिल्प से बहुत कम या कोई विशेष गतिविधि नहीं है। हालाँकि, भविष्य में यदि हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए तो यह क्षेत्र भी आर्थिक रूप से उभर सकता है।

निष्कर्ष– यह तालिका स्पष्ट रूप से झील से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में पर्यटन और मछली पालन की प्रमुखता को दर्शाती है। झील न केवल प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए जीविका का एक मजबूत आधार भी है। यदि हस्तशिल्प और कृषि से संबंधित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए तो झील से जुड़ी आजीविका के और अधिक द्वार खुल सकते हैं।

2. झील से जुड़ी आर्थिक व्यवसाय से लाभान्वितों की संख्या

श्रेणी	संख्या	प्रतिशत (%)
पर्यटन से लाभान्वित	40	66.7%
कृषि से लाभान्वित	50	83.3%
रोजगार प्राप्त	45	75%
पर्यावरणीय समस्या अनुभव	30	50%

तालिका की व्याख्या–

1. पर्यटन से लाभान्वित (66.7%) – यह दर्शाता है कि झील के आस–पास रहने वाले लगभग दो–तिहाई लोग पर्यटन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें नाव चलाने वाले, गाइड, स्मृति चिन्ह बेचने वाले, स्थानीय दुकानदार, आदि शामिल हो सकते हैं।

2. कृषि से लाभान्वित (83.3%) – झील का जल कृषि सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे सर्वाधिक (83.3%) लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि झील का प्रमुख उपयोग कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है।

3. रोजगार प्राप्त (75%) – लगभग 75% लोग झील से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, होटल, ट्रांसपोर्ट आदि से

प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यह स्थानीय आर्थिक विकास की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

4. पर्यावरणीय समस्या अनुभव (50%) – लगभग आधे लोगों ने झील क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्याओं (जैसे जल प्रदूषण, अवैध निर्माण, प्लास्टिक कचरा, आदि) का अनुभव किया है। यह संकेत करता है कि विकास के साथ-साथ संरक्षण भी आवश्यक है।

निष्कर्ष – इस तालिका से स्पष्ट होता है कि झील का आर्थिक क्षेत्र में योगदान अत्यधिक है। कृषि और पर्यटन दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे अधिक लाभ पहुँचा रहे हैं, वहीं पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है।

निष्कर्ष – जयसमन्द झील महज एक जलाशय नहीं, बल्कि मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धुरी रही है। इसके निर्माण ने न केवल तत्कालीन संकटों का समाधान प्रस्तुत किया, बल्कि आने वाले तीन शताब्दियों तक क्षेत्रीय विकास की आधारशिला रखी। सिंचाई, मछलीपालन, पर्यटन, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन और प्रशासनिक व्यवस्था सभी पर इस झील का गहरा प्रभाव पड़ा। 1947 तक यह झील मेवाड़ की अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवनदायिनी धरोहर बनी रही। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जल-संरचना यदि जनकल्याण के साथ जुड़ी हो, तो वह केवल संसाधन नहीं, बल्कि समृद्धि का प्रतीक बन जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शेखावत, रणजीतसिंह। राजस्थान की जल-संरचना एवं भू-जल संसाधन (जयपुर: राजस्थान प्रकाशन मण्डल, 2003)
2. शर्मा, गंगाराम। मेवाड़ का इतिहास (उदयपुर: भारतीय इतिहास परिषद, 1985)
3. भटनागर, आर.पी. *Water Architecture in Ancient India* (New Delhi: Aryan Books International, 1998)
4. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बापू बाजार, उदयपुर (जल प्रबंध, मत्स्य व्यवसाय और सिंचाई के ऐतिहासिक दस्तावेज)
5. Mewar State Revenue Records (1687-1947) (संपादक: Mewar Archives Department, उदयपुर)
6. राजस्थान पर्यटन विभाग। जयसमन्द झील पर आधारित सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय रिपोर्ट (जयपुर: पर्यटन एवं धरोहर मंत्रालय, 2001)
7. Jain, K.K.राजस्थान में कुटीर उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (अजमेर: ग्रामीण विकास संस्थान, 1990)
8. Udaipur District Gazetteer (Government of Rajasthan, 1969 edition)

****